महत्वूपर्ण / कोर्ट के

संख्या 618 /60–3–12–02रिट/

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

महिला एंव बाल विकास अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2012

विषय :– क्रिमिनल रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या–20736 / 2011 वोमेन प्रोटेक्शन होम्स बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में विभिन्न तिथियों में पारित आदेश अनुपालनार्थ राजकीय महिला शरणालयों के संचालन हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाने के संबंध

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व समक्ष क्रिमिनल रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या–20736 / 2011 वोमेन प्रोटेक्शन होम्स बना उ0प्र0 राज्य व अन्य विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.12 एंव दिनां 10.07.12 द्वारा महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय महिला शरणालयों के संचालन कि जाने की स्थिति चाही गयी है । मा0 उच्च न्यायालय के आदेश अनुपालन में अब संलग्नक व अनुसार राजकीय महिला शरणालयों के संचालनार्थ कार्यवाही की जायेगी ।

अतः मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महिला शरणालयों के संचालन में संलग्नक मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्नक–मार्गदर्शक सिद्धान्त ।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या – 6184(1)/60–1–12–2रिट/12 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2– निदेशक, महिला कल्याण/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, लखनऊ ।
3– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5– समस्त अधीक्षिका/सहायक अधीक्षिका, राजकीय महिला शरणालय, उत्तर प्रदेश ।
6– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव ।

राजकीय महिला शरणालयों के संचालन हेतु मार्ग दर्शक सिद्वांत

जरूरतमंद भटकी हुई नैतिक संकट से ग्रसित आवश्यकता वाली महिलाओं एवं घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 से आच्छादित व्यथित महिलाओं को आश्रय प्रदान करनें तथा उन्हें संरक्षण दिये जानें के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में राजकीय महिला शरणालयों की स्थापना की गयी है। राजकीय महिला शरणालय किसी भी एक्ट से आच्छादित नहीं है। राजकीय महिला शरणालयों के समुचित संचालन हेतु नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही विचाराधीन है। नियमावली का जब तक प्रख्यापन नहीं हो जाता तब तक राजकीय महिला शरणालयों के सुगमता पूर्वक संचालन हेतु निम्न मार्ग दर्शक सिद्वांत प्रभावी होंगे :–

1– राजकीय महिला शरणालयों में घरेलू हिंसा से व्यथित, जरूरतमंद, भटकी हुई, नैतिक संकट से ग्रसित,संकट से ग्रसित और विपदा ग्रस्त आवश्यकता वाली महिलाओं को संरक्षण/आश्रय प्रदान किया जायेगा।

2– 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के रेस्क्यू किये जानें की दशा में समस्त कार्यवाही किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति/मजिस्ट्रेट द्वारा अभिरक्षण में रखनें की कार्यवाही की जायेगी। राजकीय महिला शरणालयों में प्रवेशित की दशा में उन्हें अधिकारिता क्षेत्र के जनपद में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

3– राजकीय महिला शरणालय एवं प्रवेशालय में निवासरत महिलाओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके अन्तर्गत जीवन की समस्त मौलिक आवश्यकतायें यथा –भोजन,वस्त्र,बिस्तर,चिकित्सा शामिल होगी।

4– राजकीय महिला शरणालयों में निवासरत महिलायें यदि इच्छुक होंगी तो आय सृजन हेतु संस्था से (भारतीय दण्ड संहिता की अन्तःवासिनियों को छोड़कर) बाहर जाकर कार्य कर सकेंगी ।

5– मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा अभिरक्षा/संरक्षण आदेश दिये अन्तःवासियों को राजकीय महिला शरणालयों से बाहर जानें की छूट नहीं दी जायेगी।

6– राजकीय महिला शरणालयों की वयस्क महिलाओं के आवेदन पत्र पर सक्षम अधिकारी (जिस अधिकारी के आदेश से अन्तःवासिनी प्रवेशित है) के आदेशोपरान्त उन्हें स्वतंत्र मुक्त किया जा सकेगा।

7– राजकीय महिला शरणालय की अन्तःवासियों को विवाह के माध्यम से पुनर्वासन की इच्छुक महिला के लिखित आवेदन पर सक्षम अधिकारी निदेशक महिला कल्याण के आदेश से विभाग द्वारा संचालित पाश्चात्यवर्ती संस्थाओं में स्थानान्तरित कर विवाह के माध्यम से पुनर्वासित किया जायेगा।

8– राजकीय महिला शरणालय में निवासरत भारतीय दण्ड संहिता में वांछित साक्ष्य की महिलाओं को राजकीय महिला शरणालय से बाहर कार्य करनें की अनुमति नहीं प्राप्त होगी।

9– सक्षम न्यायालय/अधिकारी अथवा पीड़िता जरूरतमंद द्वारा स्वंय के आवेदन करनें पर राजकीय महिला शरणालय में प्रवेशित किया जायेगा।

09/8/12

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव,

10– प्रवेश की अगली तिथि को संबंधित अन्तःवासिनी का विधिवत् चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा तथा चिकित्सीय केस हिस्ट्री उसके व्यक्तिगत अभिलेखों में रक्षित किया जायेगा।

11– प्रवेशित अन्तःवासिनी का प्रवेश तिथि के 03 दिन के भीतर विधिवत केस हिस्ट्री तैयार की जायेगी जिस पर अन्तःवासिनी का फोटो भी चस्पा किया जायेगा। भटकी हुयी महिलाओं को उनके बताये पते पर अभिभावक से सम्पर्क कर पारिवारिक पुनर्समेकन किया जायेगा।

12– आय सृजन के उद्देश्य से संस्था से बाहर जानें वाली महिलाओं के कार्यस्थल के संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी अथवा संस्थाध्यक्ष सदस्य कार्य स्थल का सुरक्षा एवं नियमों के संदर्भ में विधिवत् जॉच के उपरान्त ही कार्य करनें की औपचारिक स्वीकृत प्रदान करेंगें।

13– जिला प्रोबेशन अधिकारी अथवा संस्थाध्यक्ष आय सृजन में लगी महिलाओं का नियमित अनुश्रवण भी करेंगे तथा अन्तःवासियों की शिकायत एवं परामर्श हेतु शिकायत/काउन्सिलिंग सेन्टर संस्था में स्थापित करेंगे।

14– आय सृजन से जुड़ी महिलाओं का बैंक एकाउन्ट खुलवाकर प्राप्त धनराशि का अन्तरण बैंक के माध्यम से लाभार्थी को कराया जायेगा।

15– जरूरतमंद महिलाओं से उत्पन्न शिशु तथा 07 वर्ष तक के अवयस्क बालक/बालिकाओं को माता के साथ प्रवेश मान्य होगा और उन्हें माता की भांति संरक्षण दिया जायेगा।

16– कार्यशील महिलाओं को कार्य पर जानें से पूर्व जिला प्रोबेशन अधिकारी/संस्थाध्यक्ष संबंधित संस्था/कार्यालय से लाभार्थी को प्राप्त होनें वाली समस्त सुविधायें अथवा किसी अप्रत्याशित घटना से होने वाली भरपाई का स्पष्ट एग्रीमेंट करेंगे।

17– किसी अन्तःवासिनी के निर्धारित समय तक राजकीय महिला शरणालय में वापस न आनें पर संस्थाध्यक्ष द्वारा संबंधित संस्थान से त्वरित जानकारी कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

18– संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रतिदिन प्रातः एवं सायं अन्तःवासिनियों की उपस्थिति ली जायेगी।

19– अन्तःवासिनी के चिकित्सालय में भर्ती होनें की दशा में अन्तःवासिनी के इलाज एवं सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी /चिकित्सा अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जायेगी।

20– राजकीय महिला शरणालय में निवासरत महिलाओं की दैनिक दिनचर्या का निर्धारण संस्थाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। विशेषकर दिनचर्या में प्रातःकाल में प्रार्थना नाश्ता, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, दोपहर का भोजन, मनोरंजन,सायंकालीन प्रार्थना, रात्रिकालीन भोजन तथा पठन पाठन हेतु समयावधि का निर्धारण किया जायेगा।

21– अन्तःवासिनियों के स्वस्थ जीवन हेतु प्रत्येक राजकीय महिला शरणालय में पौष्टिकता का ध्यान रखते हुए मीनू तैयार कर लगाया जायेगा तथा प्रत्येक दिवस में उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय परामर्श के आधार पर विशिष्ट अतिरिक्त आहार की व्यवस्था की जायेगी।

22– राजकीय महिला शरणालयों में निवासरत अन्तःवासिनियो को वर्ष में 02 बार मौसम के अनुसार वस्त्रों का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा,जिसमें चप्पल,अन्तःवस्त्र

एवं पृथक–पृथक टूवायलेटरी सामग्री,टूथ पेस्ट,साबुन,तौलिया,दरी तकिया,चादर एवं मौसम के अनुसार कम्बल भी शामिल होंगे।

23– राजकीय महिला शरणालयों में निवासरत अन्तःवासियों को किसी भी धर्म को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।

24– राजकीय महिला शरणालयों में किसी भी महिला को (भारतीय दण्ड संहिता की अंतःवासियों को छोड़ कर) उन्हें बाहर निरूद्व नहीं कराया जायेगा।

25– किसी अन्तःवासिनी की मृत्यु होने की दशा में उसका पोस्टमार्टम कराते हुए उसके संबंधी को सूचित करनें के पश्चात ही अन्तिम संस्कार की कार्यवाही की जायेगी। स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक मृत्यु /घटित घटना की सूचना निदेशालय /शासन को 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

26– राजकीय महिला शरणालयों में निवासरत अन्तःवासियों को न्यायालय में उपस्थित होनें की दशा में महिला पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय लाया और ले जाया जायेगा।

27– राजकीय महिला शरणालयों में तैनात कार्मिकों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील उत्तर दायी एवं दक्ष बनानें हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

09/8/12

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव,
महिला कल्याण, बाल विकास
एवं पुष्टाहार विभाग,
उ० प्र० शासन।